



नेशनलसि्ट पीपुल्स पार्टी (NPP)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नरिवाचन आयोग (Election Commission) द्वारा मेघालय के मुख्यमंत्री 'कॉनराड के संगमा' (Conrad K Sangma) के नेतृत्व वाली नेशनल पीपुल्स पार्टी (National People's Party- NPP) को एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

- इसके साथ ही नेशनल पीपुल्स पार्टी पूर्वोत्तर क्षेत्र से पहली पार्टी बन गई, जसिे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी गई है।
- उल्लेखनीय है कि नेशनल पीपुल्स पार्टी ने हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव और अरुणाचल प्रदेश के राज्य वधिनसभा चुनाव में एक राष्ट्रीय पार्टी के लयि नरिधारति पात्रता मानदंड को पूरा कयिा है।

नेशनल पीपुल्स पार्टी (National People's Party- NPP)

- मेघालय के मुख्यमंत्री के पतिा और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष, दविगत पूरणो अगतिक संगमा (Purno Agitok Sangma) द्वारा इस पार्टी का गठन 2013 में कयिा गया था।
- हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में संपन्न वधिनसभा चुनाव के दौरान इस पार्टी ने 5 सीटों पर वजिय प्राप्त की जसिके फलस्वरूप इसे अरुणाचल प्रदेश में भी राज्य पार्टी का दर्जा प्रदान कयिा गया।
- नेशनल पीपुल्स पार्टी का चुनाव चहिन कतिाब' है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मलि जाने के बाद देश में कसिी भी अन्य राजनीतिक दल या प्रत्याशी को नेशनल पीपुल्स पार्टी का 'कतिाब' वाला चुनाव चहिन आवंटति नहीं कयिा जा सकेगा।
- राष्ट्रीय राजनीतिक दल को दलिली में पार्टी कार्यालय और राजनीतिक गतिविधियों के लयि जमीन आवंटन सरकार की तरफ से कयिा जाता है।

चुनाव आयोग की समीक्षा 2019

- पार्टी ने 14.55% वैध मत प्राप्त कयिे हैं।
- पार्टी ने वधिनसभा की साठ सीटों में से पाँच सीटें हासलि की हैं।
- अपने प्रदर्शन के फलस्वरूप ही इसने अरुणाचल प्रदेश में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त की।
- पार्टी पहले से ही मणपुरि, मेघालय और नगालैंड राज्यों में एक मान्यता प्राप्त राज्य पार्टी थी।
- अरुणाचल प्रदेश में राज्य पार्टी के रूप में अपनी पहचान के बाद अब यह चार राज्यों यानी मणपुरि, मेघालय, नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश में मान्यता प्राप्त राज्य पार्टी बन गई है।
- इस प्रकार पार्टी ने कम-से-कम चार राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करते हुए राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लयि नरिदेशति पात्रता शरत को पूरा कर लयिा।
- परणामस्वरूप चुनाव आयोग ने 'नेशनल पीपुल्स पार्टी' को एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्रदान की है।

भारत नरिवाचन आयोग

Election Commission

- भारत का नरिवाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रयिओं के संचालन के लयि ज़मिेदार है।
- संवधिन के अनुच्छेद 324 के अनुसार, यह आयोग भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य वधिनसभाओं और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का चुनाव आयोजति करता है।
- वर्तमान में सुनील अरोड़ा मुख्य चुनाव आयुक्त हैं।

नरिवाचन आयोग की शक्तयिाँ और कार्य

- संसद, राज्य के वधिनमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपतियों के नरिवाचन के संदर्भ में इसकी शक्तयिाँ एवं कार्य नमिनलिखति हैं-
 - प्रशासनिक

- सलाहकारी
- अर्द्ध- न्यायिक
- नरिवाचन की तथि और समय सारणी नरिधारति करने एवं नामांकन पत्रों के परीक्षण के अलावा इसका प्रमुख कार्य राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना तथा उन्हें नरिवाचन चहिन आवंटति करना है ।
- राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने और चुनाव चहिन संबंधी विवाद के समाधान के मामले में इसे न्यायालय के समान ही शक्तिप्राप्त है ।

स्रोत- टाइम्स ऑफ इंडिया

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/npp-becomes-first-party-from-northeast-to-get-national-party-status-from-ec>

